

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

राधा नन्दन प्रसाद
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक सितम्बर, 2016

विषय:- VVIP/VIP सुरक्षा एवं अन्य सुरक्षा हेतु बिहार राज्य के विभिन्न जिलों/इकाईयों के उपयोग के लिए 145 अदद Under vehicle search Mirror के क्रय हेतु प्रति अदद पुनरीक्षित दर ₹ 4,000 (चार हजार रू0) के आधार पर कुल पुनरीक्षित लागत राशि ₹ 5.80 लाख (पाँच लाख अस्सी हजार रू0) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं ₹ 5.80 लाख (पाँच लाख अस्सी हजार रू0) विमुक्त करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के पत्रांक-833/आपूर्ति, दिनांक-04.08.2016 के संबंध में कहना है कि पुलिस मुख्यालय से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-6322, दिनांक-03.09.2015 द्वारा VVIP/VIP सुरक्षा एवं अन्य सुरक्षा हेतु बिहार राज्य के विभिन्न जिलों/इकाईयों के उपयोग के लिए 162 अदद Under vehicle search Mirror के क्रय हेतु ₹ .036 लाख (छत्तीस सौ रू0) की दर से कुल लागत राशि ₹ 5.832 लाख (पाँ लाख तिरासी हजार दो सौ रू0) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी थी। पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना द्वारा उक्त पत्र में प्रतिवेदित किया गया है कि केन्द्रीय चयन समिति द्वारा उक्त उपकरण के क्रय हेतु प्रति अदद दर ₹ 4,000 (चार हजार रू0) की अनुशंसा की गयी है। जिसके आधार पर पुलिस महानिदेशक द्वारा 145 अदद Under vehicle search Mirror के क्रय हेतु प्रति अदद ₹ 4,000 (चार हजार रू0) की दर से कुल लागत राशि ₹ 5.80 लाख (पाँच लाख अस्सी हजार रू0) का प्रशासनिक स्वीकृति देने का अनुरोध किया गया है।

2. उपर्युक्त के आलोक में पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-6322 दिनांक-03.09.2015 को पुनर्विधिकीकरण करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में 145 अदद Under vehicle search Mirror के क्रय हेतु पुनरीक्षित प्रति अदद ₹ 4,000 (चार हजार रू0) की दर से पुनरीक्षित लागत राशि ₹ 5.80 लाख (पाँच लाख अस्सी हजार रू0) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं ₹ 5.80 लाख (पाँच लाख अस्सी हजार रू0) विमुक्त करने की स्वीकृति दी जाती है।

3. उपर्युक्त विमुक्त राशि राज्य योजनान्तर्गत माँग संख्या-22 के बजट मुख्य शीर्ष-2055-पुलिस, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-115-पुलिस बल का आधुनिकीकरण, उपशीर्ष-0102-पुलिस प्रशासन एवं ढाँचागत सुदृढीकरण एवं उन्नयन हेतु विपत्र कोड P2055001150102 एवं राज्य योजना स्कीम कोड- HOM-5416 तथा विषयशीर्ष-52 01-मशीने एवं उपस्कर के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे एवं राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

5. उपयोगिता प्रमाण-पत्र तीन माह के अन्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

6. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

7. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका सं0-6/योजना-01-36/2015 के टिप्पणी पृ0 20/टि0 पर दिनांक-31.08.2016 को प्राप्त है।

8. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0-6/योजना-01-36/2015 के टिप्पणी पृ0 22/टि0 पर दिनांक-06.09.2016 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(राधा नन्दन प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं0:-6/योजना-01-36/2015 गृ0आ0.....7431...../ पटना, दिनांक 15 सितम्बर, 2016

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार पटना/अपर पुलिस महानिदेशक, (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक (विशेष शाखा), बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना/अपर पुलिस महानिरीक्षक गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक